भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4336

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन एवं वितरण में पारदर्शिता

4336. श्री रमाशंकर राजभरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोयला उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोयला खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कोयला खदानों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) देश में संचालित निजी कोयला खदानों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या कोयला खदान श्रमिकों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें की गई हैं और कोयला उत्पादन की रिपोर्टिंग उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणालियों के माध्यम से की जाती है।
ii. सीआईएल/एससीसीएल पारदर्शी तरीके से कोयले का वितरण करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नीति और दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। मौजूदा नीतियों में नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) का दोहन

और आवंटन स्कीम (शक्ति), गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए लिंकेज नीलामी नीति, ब्रिज लिंकेज नीति, सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक नीलामी, लिंकेज युक्तिकरण आदि शामिल हैं, और जब कभी आवश्यक होता है, इन नीतियों को संशोधित किया जाता है। उपभोक्ता को कोयले की आपूर्ति कोयला कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार की जाती है

(ख) : देश में कोयला खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण/जैव सुधार, सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग, इको-पार्कों का विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना जैसे विभिन्न संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल पहलें की गई हैं।

इसके अलावा, सफल बोलीदाता और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के बीच निष्पादित वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार में यह अधिदिष्ट है कि सफल बोलीदाता आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी का कार्यान्वयन करेगा। तदनुसार, सफल बोलीदाता कोयला खान में प्रचालनों से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास करेगा, उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) : कोयला खानों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं -

i. वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक का निर्माण।
ii. बंजर भूमि की बहाली।
iii. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयला गैसीकरण के निष्कर्षण सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
iv. सड़क परिवहन को कम करना और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित मशीनीकृत कोयला लोडिंग और परिवहन को बढ़ाना।
v. ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करना।
vi. सौर, पवन, पंपित भंडारण परियोजनाओं, भू-तापीय आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का शुरू करना।

(घ) : कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित कैप्टिव/वाणिज्यिक निजी कोयला खानों, जिन्हें खान खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई है, की कुल संख्या 28 है जिनमें से 26 कोयला खानों में उत्पादन शुरू हो गया है।

(ङ) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) अपने कर्मचारियों को स्वयं के लिए और परिवार के आश्रित सदस्यों को सीआईएल/एससीसीएल के अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा उपचार की विशेषीकृत सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार देश भर के पैनलबद्ध अस्पतालों में भी रेफर किया जाता है। सीआईएल/सहायक कंपनियों के प्रतिष्ठानों में नियुक्त ठेकेदार के कामगारों को भी कंपनी के अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध इनडोर और ओपीडी सुविधा प्रदान की जा रही है। एससीसीएल के गैर-रोल कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करने पर अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा देखभाल स्कीम में नामांकित किया जाता है, जहां वे पैनलबद्ध अस्पतालों में नकद रहित उपचार का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में सीआईएल/एससीसीएल के कोयला खान कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा स्कीम नहीं है।

*****